रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17122025-268583
CG-DL-E-17122025-268583

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5640] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 17, 2025/अग्रहायण 26, 1947
No. 5640] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 17, 2025/AGRAHAYANA 26, 1947

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2025

का.आ. 5835(अ).— जबकि पहचान स्थापित करने हेतु आधार संख्या का उपयोग व्यक्तियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति से सब्सिडी, लाभ और सेवाएं प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, पहचान स्थापित करने के लिए विविध दस्तावेजों की आवश्यकता को समाप्त करता है, प्रक्रियाओं को सरल बनाता है और पारदर्शिता एवं दक्षता को बढ़ावा देता है: -

और जबकि केंद्रीय सरकार ने तारीख 15 मई, 2025 के संख्या का.आ. 2173 (अ), के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को हां/नहीं या/और ई-केवाईसी अधिप्रमाणन सुविधाओं का उपयोग करते हुए एनआरए पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण सहित परीक्षा के विभिन्न चरणों के दौरान, आवेदकों, लोक परीक्षा पदाधिकारियों और लोक परीक्षाओं में शामिल अन्य हितधारकों की पहचान स्थापित करने के लिए, स्वैच्छिक आधार पर, आधार अधिप्रमाणन की अनुमति दी गई है: -

और जबकि केंद्रीय सरकार ने उक्त अधिसूचना का अधिक्रमण करना जनहित में आवश्यक और समीचीन समझा है:-

और जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के साथ परामर्श करने के पश्चात्, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को अधिप्रमाणन करने की सहमति प्रदान की है और आधार संख्या धारक की पहचान स्थापित करने के लिए अधिप्रमाणन के दौरान आधार संख्या का उपयोग करने की अनुमति दी है तथा इसे आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकिये, सुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (ख) के उप-खंड (ii) के साथ पठित सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियम, 2020 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 5 के अधीन अधिसूचित किया है: -

और जबकि, उक्त नियमों के नियम 3 के उप-नियम (1) के अधीन यथासंदर्भित सुशासन सुनिश्चित करने और नवाचार को समर्थ बनाने तथा ज्ञान का प्रसार करने के लिए डिजिटल प्लेटफार्मों के उपयोग हेतु आधार अधिप्रमाणन किया जाएगा और उक्त प्रयोजन के लिए आधार अधिप्रमाणन का निष्पादन स्वैच्छिक आधार पर किया जाएगा और उक्त राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी सुशासन को सुनिश्चित करने और नवाचार को समर्थ बनाने और ज्ञान के प्रसार के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्मों के उपयोग हेतु आधार अधिप्रमाणन करेगी:-

अब, अत: केंद्रीय सरकार उक्त नियमों के नियम 5 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (ख) के उप-खंड (ii) के अनुसरण में और तारीख 15 मई, 2025 के संख्या का.आ.2173(अ) *के द्वारा* जारी की गई अधिसूचना के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई या किए जाने से लोप की गयी बातों के सिवाए, एतद्वारा अधिसूचित करती है कि आधार अधिप्रमाणन स्वैच्छिक आधार पर होगा और राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, -

(क) इसमें अधिप्रमाणन के प्रयोजन के लिए आधार संख्या धारक की सहमति प्राप्त करेगी;

(ख) आधार अधिप्रमाणन से इनकार करने अथवा कराने में असमर्थ होने के कारण आधार संख्या धारक को किसी भी सेवा से मना नहीं करेगी; और

(ग) आधार संख्या धारक को पहचान के निम्नलिखित वैकल्पिक और व्यवहार्य साधनों के बारे में सूचित करेगी, अर्थात् -

(i) पैन कार्ड;

(ii) ड्राइविंग लाइसेंस;

(iii) पासपोर्ट;

(iv) सरकारी कार्यालय या मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र;

(v) मतदाता पहचान पत्र।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होगी।

[फा. सं. 39035/01/2024-पी.पी. बी.(I)]

सोम दत्त शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th December, 2025

S.O. 5835(E).— WHEREAS the use of Aadhaar number to establish identity enables individuals to receive subsidies, benefits and services in a convenient and seamless manner, obviates the need for multiplicity of documents to establish identity, simplifies processes and promotes transparency and efficiency;

AND WHEREAS the Central Government has issued a notification in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O 2173 (E), dated the 15th May, 2025 allowing the National Recruitment Agency to perform Aadhaar authentication, on voluntary basis, for establishing the identity of applicants, public examination functionaries and other stakeholders involved in public examinations, during various stages of examination, including registration on the portal of NRA, using Yes/No or/and e-KYC authentication facilities;

AND WHEREAS the Central Government has considered it necessary and expedient in the public interest to supersede the said notification;

AND WHEREAS the Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India, after consultation with the Unique Identification Authority of India (UIDAI), has consented to allow the National Recruitment Agency to perform authentication and be permitted the use of Aadhaar number during authentication for establishing identity of Aadhaar number holder and notify the same under rule 5 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020 (hereinafter referred to as the said rules) read with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (hereinafter referred to as the Act);

AND WHEREAS the Aadhaar authentication shall be performed for usage of digital platforms to ensure good governance and enablement of innovation and the spread of knowledge as referred to under sub-rule (1) of rule 3 of the said rules and the performance of Aadhaar authentication for the said purpose shall be on voluntary basis and that the said National Recruitment Agency shall perform the Aadhaar authentication for usage of digital platforms to ensure good governance and enablement of innovation and the spread of knowledge;

NOW, THEREFORE, in pursuance of sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Act read with rule 5 of the said rules and in supersession of the notification issued *vide* S.O 2173 (E), dated the 15th May, 2025, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby notifies that the Aadhaar authentication shall be on voluntary basis and the National Recruitment Agency shall,–

(a) obtain the consent of the Aadhaar number holder for the purpose of authentication herein;

(b) not deny any service to the Aadhaar number holder for refusing to, or being unable to, undergo Aadhaar authentication; and

(c) inform the Aadhaar number holder of the following alternate and viable means of identification, namely:—

(i) PAN Card;

(ii) Driving Licence;

(iii) Passport;

(iv) Photo Identity card issued by Government office or recognised institution;

(v) Voter Identity Card.

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 39035/01/2024-PP (B-I)]

S. D. SHARMA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA